

प्रारूप - सात  
(नियम 11 देखिये)

2018 -2019

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (कं. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम एवं पता

- असीम एज्युकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी इन्दौर  
122/ई/डी सेक्टर स्कीम नं 94, रिंग रोड इन्दौर

2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख

- पंजीयन क्रमांक. 03/27/03/12844/10

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख

- 07/05/2019

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची

- कार्यकाल तारीख 07/05/2019 से 07/05/2022 तक

कं	नाम पिता व पति	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
(1)	श्री राजेन्द्र पितलिया पिता श्री शान्तिलाल पितलिया	24, टीचर्स कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्ण नगर तहसील व जिला रतलाम	अध्यक्ष	व्यवसाय	
(2)	श्रीमती कमला देवी पितलिया पति श्री शान्तिलाल पितलिया	24, टीचर्स कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्ण नगर तहसील व जिला रतलाम	उपाध्यक्ष	जन सेवा	
(3)	श्री विवेक पितलिया पिता श्री राजेन्द्र पितलिया	25, टीचर्स कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्ण नगर तहसील व जिला रतलाम	सचिव	व्यवसाय	
(4)	श्री वीरेन्द्र पितलिया पिता श्री शान्तिलाल पितलिया	25, टीचर्स कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्ण नगर तहसील व जिला रतलाम	कोषाध्यक्ष	व्यवसाय	
(5)	श्रीमती सुषमा देवी पितलिया पति श्री राजेन्द्र पितलिया	25, टीचर्स कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्ण नगर तहसील व जिला रतलाम	संयुक्त सचिव	जन सेवा	
(6)	श्रीमती रजनी पितलिया पति श्री विरेन्द्र पितलिया	25, टीचर्स कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्ण नगर तहसील व जिला रतलाम	सदस्य	जन सेवा	
(7)	श्रीमती स्वीटी पितलिया पति श्री विवेक पितलिया	25, टीचर्स कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्ण नगर तहसील व जिला रतलाम	सदस्य	जन सेवा	

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (कं. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन

रु.02000/- की वार्षिक फीस चालान क्रमांक PV 1130127600 147573052019 30184 दिनांक 13/05/2019 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न

अध्यक्ष/सचिव घोषणा

मैं श्री विवेक पितलिया पिता श्री राजेन्द्र पितलिया आयु लगभग..... वर्ष एक प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी अधिकारी के आधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहूँगा।

यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रदाय की गई है।

सचिव

श्री विवेक पितलिया

अध्यक्ष/सचिव

असीम एज्युकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर  
सोसायटी इन्दौर

लोक सूचना अधिकारी  
कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्मस एवं संस्थाएँ,  
इन्दौर सम्भाग, इन्दौर